अति महत्वपूर्ण

संख्या- 9/2025/36/सैतालीस-का-5-2025-(1884274)

प्रेषक,

एम० देवराज,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

कार्मिक अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांक : 11-02-2025**

विषयः- उत्तर प्रदेश राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कार्मिकों की वार्षिक प्रविष्टि मानव सम्पदा पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल किए जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत है कि राज्य कर्मचारियों का सेवा विवरण अद्यतन किया जाना (नियुक्ति, कार्यभार ग्रहण, कार्यमुक्ति, अवकाश प्रबन्धन आदि) मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट (ए०पी०आर०) प्रबन्धन, वेतन आहरण, सेवा पुस्तिका प्रबन्धन आदि से संबंधित समस्त कार्य मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से सम्पादित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये है तथा शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों की वार्षिक प्रविष्टियों का कार्य वर्ष 2023-2024 से अनिवार्य रूप से पोर्टल के माध्यम से ही किया जा रहा है तथा वर्ष 2024-25 से समस्त कार्मिकों की वार्षिक प्रविष्टियों का कार्य मानव सम्पदा पोर्टल से किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- शासन के स्पष्ट निर्देश होने के उपरान्त भी वर्ष 2023-2024 की वार्षिक प्रविष्टियों का कार्य समय से न पूर्ण होने के कारण समय-समय पर वर्कफ्लो जनरेशन/स्वमूल्यांकन आख्या / प्रतिवेदक / समीक्षक / स्वीकर्ता मन्तव्य अंकन हेतु निर्धारित तिथि को बढाया गया है। शासनादेश संख्या-08/2025/21/सैंतालीस-का-5-2024(1884274), दिनांक 06.02.2005 द्वारा वर्कफ्लो जनरेशन जनरेशन के लिए दिनांक 12.02.2025 तक का अतिरिक्त समय देते हुए स्वमूल्यांकन आख्या / प्रतिवेदक / समीक्षक / स्वीकर्ता मन्तव्य अंकन हेतु क्रमशः दिनांक 16.02.2025, 20.02.2025, 24.02.2025 एवं दिनांक 28.02.2025 तक का समय प्रदान किया गया है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 06.02.2025 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए मानव सम्पदा पोर्टल के सफल संचालन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) वर्ष 2023-24 से वार्षिक प्रविष्टि / मूल्यांकन आख्या का कार्य मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किये जाने का निर्णय लिया गया है, परन्तु वार्षिक प्रविष्टि के विरूद्ध प्रत्यावेदन पूर्व की भाँति आफलाइन / भौतिक रूप से ही दिये जाने की व्यवस्था है।

इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि कार्मिक द्वारा भौतिक रूप से दिये गये प्रत्यावेदन पर विचारोपरान्त उसे प्राप्त ग्रेडिंग / मार्किंग में परिवर्तन संबंधी निर्णय से संबंधित ऑफिस एडमिन को अवगत कराया जायेगा तथा ऑफिस एडमिन द्वारा पोर्टल पर स्थिति अद्यतन की जायेगी।

(2) वर्ष 2023-24 से वार्षिक प्रविष्टि / मूल्यांकन आख्या का कार्य मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किये जाने का निर्णय होने के उपरान्त भी कतिपय कारणोवश कुछ कार्मिकों की वर्ष 2023-24 की मूल्यांकन आख्या / ग्रेडिंग भौतिक रूप से प्रस्तुत की गयी है।

इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2023-24 में जिन कार्मिकों की मूल्यांकन आख्या / ग्रेडिंग भौतिक रूप से की गयी है उनका भी वर्कफ्लो जनरेट किया जाये तथा पूर्व में भौतिक रूप से प्राप्त मूल्यांकन आख्या को पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाय। इस प्रकार वर्ष 2023-24 में भौतिक रूप से प्राप्त मूल्यांकन आख्या / ग्रेडिंग ऑनलाइन कर दी जाय।

(3) प्रत्येक माह में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की ईएचआरएमएस आई0डी0 आटोमैटिक्ली इनैक्टिव किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

कृपया प्रश्नगत प्रकरण को शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एम0 देवराज)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को, मा0 मंत्रिगण के सूचनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
5. प्रमुख सचिव विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
7. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
8. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
9. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
10. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्तानुसार मानव सम्पदा पोर्टल पर आवश्यक व्यवस्था करने का कष्ट करें।
12. श्री शैलेश कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ निदेशक(आई०टी०), एन०आई०सी०, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13. श्री राजेन्द्र गुप्ता, वरिष्ठ निदेशक(आई०टी०), एन०आई०सी०, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

14. वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
15. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।